विवेदी

न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

एसद प्रा. पत्र स. 02 / 2018

सम्पुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 33 / 18

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 34 / 18

[illegible]

बनाम

1. [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2. [illegible]

निवासी [illegible]

3. [illegible]

[illegible]

उपस्थित :

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

प्रार्थना पत्र अ. धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम

आदेश

[illegible]

आठ सिलेण्डर पाये गये। पिक अप टैम्पों के ड्राईवर अप्रार्थी संख्या 03 ने टैम्पों की आर.सी उसके भाई त्रिलोक के नाम से होना बताया तथा सिलेण्डर गुलाब गैस एजेन्सी से लाना एवं उक्त सर्विस सेन्टर पर डिलेवरी करना बताया। इस तरह से उपरोक्त सम्पूर्ण प्रकरण अवैध गैस रिफिलिंग का पाये जाने पर मौके से जप्त समस्त सामग्री 11 घरेलु गैस सिलेण्डर सर्विस सेन्टर से एवं वर्क शॉप पर खडे पिकअप टैम्पों से 8 सिलेण्डर कुल 19 सिलेण्डर एवं वाहन मारूती वैन संख्या आर.जे.01 यू.ए. 0568, पिकअप टैम्पों संख्या आर.जे.01जी.बी. 1708 एक रिफिलिंग मशीन को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। सुनवाई चाहने पर उपस्थित उभयपक्ष को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रा.पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि फ्लोरेन्स अपार्टमेन्ट के सामने, रामदेव मंदिर के पास, महादेव नगर, कोटडा में वाहनों के सर्विस सेन्टर पर अवैध गैस रिफलिंग के कारोबार की सूचना पर दिनांक 19.02.2018 को जिला रसद अधिकारी, अजमेर (प्रथम) के नेतृत्व में प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक साक्षी कस्वा के द्वारा मौके पर पहूँच कर जांच किये जाने पर मौके पर थाना किश्चयनगंज के हेड कॉनिस्टेबल बैल्ट नं0 485 श्री प्रदीप कुमार एवं कॉनिस्टेबल बैल्ट नं0 1166 श्री मनोहर चन्द उपस्थित मिलें। बिना नाम लिखे सर्विस सेन्टर पर उपस्थित अप्रार्थी संख्या 01 सिद्धार्थ ने स्वयं को उक्त सर्विस सेन्टर का संचालक एवं सर्विस सेन्टर पर गैस से चलने वाली गाडियों में 800/-रूपये में गैस भरने का कार्य किया जाना बताया। बरवक्त निरीक्षण मौके पर मारूती वैन संख्या आर.जे.01 यू.ए. 0568 में लगे गैस किट में गैस रिफलिंग का अवैध कृत्य हो रहा था। मौके पर उपस्थित वैन मालिक अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा गाडी की आर.सी. श्रीमती माहिनी देवी से सेकण्ड हैंड खरीदने की जानकारी दी गई। सर्विस सेन्टर में बने कमरे की तलाशी पर आठ घरेलू गैस सिलेण्डर पाये गये। एक घरेलू गैस सिलेण्डर रिफिलिंग मशीन की सहायता से वैन से जुडा हुआ एवं दो सिलेण्डर कमरे के बाहर भरे हुए पाये गये। सर्विस सेन्टर पर भारत गैस लिखे, खडे पिकअप टैम्पों संख्या आर.जे.01जी.बी. 1708 में तीन सिलेण्डर भरे हुए एवं 5 सिलेण्डर खाली कुल आठ सिलेण्डर पाये गये। पिक अप टैम्पों के ड्राईवर अप्रार्थी संख्या 03 ने टैम्पों की आर.सी. उसके भाई त्रिलोक के नाम से होना बताया तथा सिलेण्डर गुलाब गैस एजेन्सी से लाना एवं उक्त सर्विस सेन्टर पर डिलेवरी करना बताया। इस प्रकार अप्रार्थी 01 द्वारा अवैध रूप से घरेलू वाहनों में रिफिलिंग करना एवं वैन मालिक राजेश वैष्णव द्वारा अवैध रूप से रिफिलिंग में सहयोग करने व घरेलू गैस का अन्यत्र उपयोग करना एवं पिकअप ड्राईवर द्वारा रिफिलिंग हेतु घरेलू गैस सिलेण्डर सप्लाई करना एल.पी.जी.आर्डर (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश-2000 के क्लाज-3 (1-ख, ग) 3 (क,ख), 4-1(क, ख), 2, 6, 7-1(क) का स्पष्ट उल्लघन के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध भी है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 धारा 6 ए स्वीकार कर मौके से जप्त समस्त सामग्री 19 घरेलु गैस सिलेण्डर, वाहन मारूती वैन संख्या आर.जे.01 यू.ए. 0568, पिकअप टैम्पों संख्या आर.जे.01जी.बी. 1708 एवं रिफिलिंग मशीन को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

जवाब में उपस्थित अभिभाषक श्री श्यामकृष्ण पारीक एवं श्री मनीष प्रकाश माथुर द्वारा प्रकरण में जब्त वाहन मारूती वैन संख्या आर.जे.01 यू.ए. 0568 को सुपुर्दगी पर छोडने हेतु श्री अमित वैष्णव पुत्र श्री औमप्रकाश वैष्णव, पुष्कर रोड, अजमेर द्वारा एवं पिकअप टैम्पों संख्या आर.जे.01जी.बी. 1708 को सुपुर्दगी पर छोडने हेतु श्री त्रिलोक तम्बोली के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 451, 457 द.प्र.सं. का उल्लेख करते हुए कथन किया

जिला कलक्टर
अजमेर

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(आरती डोगरा)
जिला कलक्टर,
अजमेर